

पीड पोस्ट

संख्या- 6/एफ1-306/2015 श्र0सं0

68

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

प्रकाश कुमार
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, बेगुसराय ।
सहायक श्रमायुक्त, कटिहार ।
श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी /औरंगाबाद/मधुवनी/
किशनगंज /मोतिहारी /भोजपुर (आरा) नवादा ।

पटना, दिनांक :- 19.11.15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-
मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी0
2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01 दिसम्बर, 2015 से 15 फरवरी, 2016 तक जिला स्तर पर "बाल श्रम उन्मूलन एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों" पर कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के आयोजन हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 9,12,375/- (₹ नौ लाख बारह हजार तीन सौ पचहत्तर) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है ।

2. आयोजित किये जाने वाले कार्यशाला में पंचायत के मुखिया, प्रखंड के प्रमुख, जिले में कार्यरत ट्रेड युनियन के अध्यक्ष/सदस्य, एन०जी०ओ० के सदस्य, अंचल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं विभाग के पदाधिकारी भाग लेंगे । कार्यशाला का उद्घाटन जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त से करने का अनुरोध किया जाय ।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार
19/11/15

ज्ञापांक:- 6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

68

पटना, दिनांक

19-11-15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार
19/11/15

*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक:- 6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

68

पटना, दिनांक

19-11-15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सचिव सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ *(संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-01(बाल श्रमिक कोषांग)प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार
19/11/15

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक में आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103- बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड पी 2230011030103) के अनतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01 दिसम्बर, 2015 से 15 फरवरी 2016 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	प्राथमिक इकाई	कुल व्यक्तियों की संख्या	₹ भोजन 175/- नास्ता- ₹ 60/- प्रति व्यक्ति एवं समियाना पोस्टर, पम्पलेट, दरी, हॉडिंग आदि हेतु ₹ 25000/- की दर से
1	2	3	4	5
1	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार इकाई (20-02)	325	101375/-
2	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	तदैव	325	101375/-
3	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी	तदैव	325	101375/-
4	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	तदैव	325	101375/-
5	श्रम अधीक्षक, मधुवनी	तदैव	325	101375/-
6	श्रम अधीक्षक, किशनगंज	तदैव	325	101375/-
7	श्रम अधीक्षक, मोतिहारी	तदैव	325	101375/-
8	श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा)	तदैव	325	101375/-
9	श्रम अधीक्षक, नवादा	तदैव	325	101375/-
		कुल योग	2925	912375/-

कुल आवंटित राशि रुपये 9,12,375/- (रुपये नौ लाख बारह हजार तीन सौ पचहत्तर) मात्र ।

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार
19/11/15